

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 62/2022 (उदयपुर डिक्री)

लालू पिता भंवरा भील, निवासी पावडीया कठार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. तेशालाल पिता दूदा भील, निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी तेशालाल भील, निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनलाल पिता गणेशलाल गमेती, निवासी मोरिया की कडिया, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. विनीतसिंह पिता त्रिलोचनसिंह अरोड़ा, जाति सिख, निवासी 31, सिख कॉलोनी, उदयपुर (राज.)
6. संजय अलरेला पिता गोविन्दराम अलरेजा, निवासी 801, लोटस पार्क अपार्टमेन्ट, चित्रकूट नगर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 63/2022 (उदयपुर डिक्री)

लालू पिता भंवरा भील, निवासी पावडीया कठार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. तेशालाल पिता दूदा भील, निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी तेशालाल भील, निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. किशनलाल पिता गणेशलाल गमेती, निवासी मोरिया की कडिया, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. विनीतसिंह पिता त्रिलोचनसिंह अरोड़ा, जाति सिख, निवासी 31, सिख कॉलोनी, उदयपुर (राज.)



6. संजय अलरेला पिता गोविन्दराम अलरेजा, निवासी 801, लोटस पार्क अपार्टमेन्ट, चित्रकूट नगर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ.1955

विरुद्ध निर्णय उपखण्ड, बड़गांव प्रारम्भिक

डिक्री दिनांक 20.10.2021 व अंतिम डिक्री

दिनांक 31.03.2022 प्रकरण सं. 621/2019

----/----

उपस्थित :- 1. श्री सचिन जोशी अभिभाषक अपीलान्त

2. श्री सुनील शर्मा अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

4. श्री आलोक जैन अभिभाषक रे.सं., 5, 6

-----::-----

निर्णय

दिनांक 07-08-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 804 रकबा 0.1100 हैक्टर एवं 805 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि ग्राम खुमाणपुरा में स्थित है, जिसमें वादीगण का संयुक्त रूप से 5810/7300 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1490/7300 हिस्सा होकर इसी अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने से ईच्छानुसार ऋण लेना एवं कन्वर्ड कराने आदि में परेशानी होती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20-10-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31-03-2022 को अंतिम डिक्री जारी की गयी।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20-10-2021 से रूष्ट होकर अपीलान्त प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 63/2022 तथा अंतिम डिक्री दिनांक

31-03-2022 के विरुद्ध अपील संख्या 62/2022 इस न्यायालय में दिनांक 08-08-2022 को प्रस्तुत की गई है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 621/2019 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण दिनांक 20-10-2021 को साक्ष्य वादी हेतु नियत था, किन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 02-10-2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प के रखने के आदेश के कारण दिनांक 20-10-2021 को वादी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हो पायी एवं प्रकरण दिनांक 10-11-2021 को ईसवाल कैम्प में सुनवाई हेतु नियत करने हेतु खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवा लिये गये एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की सहमति अंकित कर दिनांक 20-10-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी एवं अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 31-03-2022 को अंतिम डिक्री कर दी, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 28-07-2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए दोनों अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 20-10-2021 को साक्ष्य वादी हेतु नियत था, किन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 02-10-2021 को प्रकरण राजस्व कैम्प के रखने के आदेश के कारण दिनांक 20-10-2021 को वादी की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हो पायी एवं प्रकरण दिनांक 10-11-2021 को ईसवाल कैम्प में सुनवाई हेतु नियत करने हेतु खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा अपीलान्त की अनुपस्थिति में तनकियात कायम होने के बावजूद केवल फर्द अहकाम पर वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की सहमति अंकित कर दिनांक 20-10-2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तत्पश्चात् अपीलान्त की अनुपस्थिति में दिनांक 31-03-2022 को अंतिम डिक्री कर दी, जिससे अपीलान्त को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये, बंटवारा प्रस्ताव भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जिससे उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पॉन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत हैं। अतः दोनों अपीलें खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 804 रकबा 0.1100 हैक्टर एवं 805 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल कित्ता 2 रकबा 0.7300 हैक्टर में वादीगण/रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 से 3 का 5810/7300 हिस्सा तथा अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 1 का 1490/7300 दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20-10-2021 पर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति

में अब अपीलान्तगण का यह कथन कि खाली फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवा लिये उचित प्रकट नहीं होता है, न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है, न ही अपने उक्त अधिवक्ता के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, दिनांक 11-02-2022 को जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, उसकी तामिल अपीलान्त/प्रतिवादी लालू पर विधिवत हुई है, किन्तु इसके बावजूद वह मौके पर उपस्थित नहीं हुए। बंटवारा प्रस्ताव रेकार्ड अनुसार किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, वह विधि सम्मत है। हम यह भी पाते हैं कि उक्त अंतिम डिक्री जारी होने के बाद दिनांक 07-06-2022 को इस भूमि का संपरिवर्तन कराया जाकर इसका रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 के पक्ष में किया जा सकता है, जिसके आधार पर क्रेता को हमारे द्वारा दिनांक 30-05-2024 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 व 6 के रूप में संस्थित किया गया है। तदनुसार दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20-10-2021 एवं अंतिम डिक्री 31-03-2022 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07-08-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

लालू बनाम भंवरा भील, निवासी बनाम तेशालाल पिता दूदा भील, निवासी
पावडीया कठार, तहसील बड़गांव निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा
जिला उदयपुर भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा,
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....63/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....बड़गांव..... मुकाम.....मुखर्षे.....20.....माह.....10.....2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....07.....माह.....08.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री सचिन जोशी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुनील शर्मा/आलोक जैन
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं
प्रारम्भिक डिक्री 20-10-2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....07.....माह.....08.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासप्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

लालू बनाम भंवरा भील, निवासी बनाम तेशालाल पिता दूदा भील, निवासी
पावडीया कठार, तहसील बड़गांव निवासी 190, केशवपुरा, मदारडा
जिला उदयपुर भादवीगुडा, तहसील गोगुन्दा,
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....62/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....बड़गांव..... मुकाम.....मुखर्षे.....31.....माह.....03.....2022

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....07.....माह.....08.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री सचिन जोशी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुनील शर्मा/आलोक जैन
.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट
सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं
अंतिम डिक्री 31-03-2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....07.....माह.....08.....2024
को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।